उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-97/3403/पांच-8-2016-डी(17)/2016

लखनऊ: दिनांक 25 नवम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 दन्त सर्जन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत दन्त शल्यक के पद पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2016 में सामान्य पदों पर चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या-15/30/सेवा-8/2010-11, दिनांक 12-07-2016 में 28 दन्त शल्यकों की नियुक्ति के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2394/पॉच-8-2016-डी(17)/2016, दिनांक 06-08-2016 द्वारा 26 दन्त शल्यकों के नियुक्ति आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। लोक सेवा आयोग के उक्त संस्तुति दिनांक 12-07-2016 में चयन क्रमांक-15 की नियुक्ति तत्समय कतिपय अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो पायी। लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के पत्र संख्या-15(1)/30/सेवा-8/2010-11, दिनांक 28-09-2016 द्वारा डा0 वर्मा पूजा सन्तबहादुर की स्पष्ट चयन संस्तुति एवं अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अत: लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के उक्त पत्र दिनांक 28-09-2016 में की गई संस्तुति के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में दन्त शल्यक के पद पर डा0 वर्मा पूजा सन्तबहादुर (बी0डी0एस0) पुत्री श्री सन्तबहादुर वर्मा, मकान नं0-201/8043,एटी रोजेस, को0प0, कन्नमवार नगर (2) विक्रोली(पूर्व), मुम्बई-400083, महाराष्ट्र (चयन क्रमांक-15 तथा अनुक्रमांक-50410022429, गृह जनपद मुम्बई महाराष्ट्र) को मौलिक एवं अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए जिला चिकित्सालय, अलीगढ में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- सम्बन्धित दन्त शल्यक को उ0प्र0 दन्त सर्जन सेवा नियमावली, 1979 यथा संशोधित, 1998 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2- सम्बन्धित दन्त शल्यक का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु दन्त शल्यक अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-5 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होगी।

क्रमश:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- सम्बन्धित दन्त शल्यक निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगीं। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4- सम्बन्धित दन्त शल्यक को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुन: संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5- सम्बन्धित दन्त शल्यक **दिनांक** 22-12-2016 तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगी। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अलीगढ के समक्ष उपस्थित होगी तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7- सम्बन्धित दन्त शल्यक को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में) (2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप पर)।

(3) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(4) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(6) चल अचल सम्पति का प्रमाण पत्र।

(7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

क्रमश:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2- प्रान्तीय दन्त सर्जन सेवा संवर्ग में डा0 वर्मा पूजा सन्तबहादुर दन्त शल्यक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

संलग्नक-शपथ पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप।

डा0 नीरज शुक्ला,
विशेष सचिव।

संख्या-97/3403(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र पत्र संख्या-15(1)/30/सेवा-8/2010-11, दिनांक 28-09-2016 के सन्दर्भ में।
3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सम्बन्धित दन्त शल्यक को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।
4- निदेशक(दन्त),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त दन्त शल्यकों के नियुक्ति आदेश उनके स्थायी पते पर भेजा जाना सुनिश्चित करें।
5- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये दन्त शल्यक का स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा दन्त शल्यक को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय,जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये दन्त शल्यक के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।
6- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त दन्त शल्यक को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्रमश:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- सम्बन्धित दन्त शल्यक।

9- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

10- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।